




उनवान:- रघुवीर बनाम सरला
दावा बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
16/5/22	<p>वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 10.06.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p> <p style="text-align: right;">2485-2502 16/5/22</p>
10/6/22	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी न० 1 लगा० 9 की और से श्री गौरीशंकर गुर्जर एड० ने वकातनामा वकीलमीमा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 11 के नोटिस तामील स्वंप के द्वारा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। तामील मानी जाती है। उक्त के खिलाफ एड तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। एवं प्रतिवादी न० 10, 12 लगा० 16 के नोटिस तामील अड्ड प्राप्त हुए है। एवं प्रतिवादी न० 17, 18 पैरोकार सका उप०। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 1.7.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>
7.7.22	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी न० 1 लगा० 9 की और से श्री हंसराम गुर्जर एड० ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे। एवं प्रतिवादी न० 10, 12 लगा० 16 के पुनः नोटिस तलबी पेश करने के लिए वादी वकील को हिदायत दी गई वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 21.7.22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"></p>

दिनांक
3/9/85

पतावली केस हुई। वादी मुख वादी वकील मोदी
 उपस्थित नहीं। वाद 2 भावाभा दिवाही गई
 इसीके बावजूद भी वादी मुख वादी वकील
 मोदी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये वादी का शपथ
 वाक्य कोषणा साहदापी शपथी निश्चिन्त्यादा वादी
 मुख वादी वकील की छान्दम देववी को समझी
 भिषा जाता है। पतावली फौजलकुमार शेर
 नम्बरके कम का डायरिड उपलब्ध है

